



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112020-223407  
CG-DL-E-28112020-223407

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3765]  
No. 3765]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2020/अग्रहायण 6, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020/AGRAHAYANA 6, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2020

का.आ. 4270(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 3327 (अ.), दिनांक 7 दिसम्बर, 2015, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in) पर भेज सकता है।

### प्रारूप अधिसूचना

चुलानूर मयूर अभयारण्य 3.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और केरल राज्य में त्रिस्सूर और पालाङ्कड जिलों के थालाप्लीली और अलाथूर तालुकों में स्थित हैं। चुलानूर मयूर अभयारण्य नेनमारा और त्रिस्सूर क्षेत्रीय संभागों से काटकर बनाए गए क्षेत्रों से बनाया गया जो पूर्ववर्ती निजी वन था, तदनंतर केरल निजी वन (वेस्टिंग और निर्धारण) अधिनियम, 1971 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया गया;

और, चुलानूर मयूर अभयारण्य के वन महत्वपूर्ण वृक्ष आच्छादन प्रदान करते हैं जो क्षेत्र की सूक्ष्म जलवायु में सुधार करते हैं और यह लंबे समय में आसपास के क्षेत्र को जल-विज्ञान अनुकूल रूप से प्रभावित करेगा। अभयारण्य क्षेत्र से पौधों की लगभग 337 प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं। अभयारण्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्णपाती वन अब संबंधित जैवविविधता के साथ द्वितीयक आनुक्रमिक चरणों के माध्यम से विकसित होने वाले क्षेत्र के प्राकृतिक वन वनस्पति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस स्थानीय वनस्पति, जीवजंतु सम्बन्ध मृदा और माइक्रोबैल तत्वों का बहुत उच्च जैवविविधता मूल्य है। अभयारण्य की मुख्य वनस्पति नारियल (*कोकोस न्यूक्फेरा*), अरेका नट (*अरेका केटेचू*), सागौन (*टेक्टोना ग्रांडिस*), कटहल (*आर्टोकार्पसेथेरोफयल्लुस*), आम वृक्ष (*मैंगिफेराइंडिका*), पेप्पर (*पिपेर निग्ररूम*), केला (*मूसापैराडिसिका*), कानिकोकोना (*कैशिया फिस्तुला*), शतावरी (*असपारागुस राकेमोसुस*), धन्थाप्पाला (*त्रिघटियाटिक्टोरिया*), मरामंजल (*कोस्किनियमफेनेस्ट्रेतम*), ओरीला (*डेस्मोडियमगंगटीकम*), पलकापाय्यानी (*ऑरोक्सिलोमइंडिकम*), थिप्पाली (*पिपेर लोंगुम*), मोविला (*पेसेउदारथरिया विस्किदा*), आदि हैं;

और, चुलानूर मयूर अभयारण्य क्षेत्र की पारिस्थितिकी संपूर्णता हानि के बिना पारिस्थितिकी-पर्यटन के लिए अच्छी क्षमता है। अभयारण्य केरल राज्य में सिर्फ मयूर के लिए संरक्षित क्षेत्र का निरूपण करता है जो मयूर जनसंख्या वृद्धि के लिए लाभप्रद है। अभयारण्य में अन्य पक्षियों में अशीय ड्रोंगो (*डीकरूरुस लेउकोफाइडस*), भारतीय कोयल (*इयडोयनाम्यस स्कोलोपाकेउस*), बाया वीवर (*पलोकेउस फिलीप्पीनस*), ब्लैक-हेडेड कक्कूश्रीके (*लालागे मेलानोप्टेरा*), लेस्सेर गोल्डन-बैकेड वुडपेकर (*डिनोपियम बेंघालेंसे*), ब्राह्मणी काइट (*हलिअस्तुर इंडुस*), बॉजेड ड्रोंगो (*डिकरूरुस अइनेउस*), कैटल इग्रेट (*बुबुलकस इबिस*), चेस्टनट-टेल्ड स्टार्लिंग (*स्तुमिया मालावरिका*), ब्लैक-हूडेड ओरिओल (*ओरिओलुस क्थोरनुस*), सामान्य किंगफिशर (*अल्केडो अथिस*), सामान्य मोर (*पावो क्रिस्तातुस*), सामान्य वृद्धश्रीके (*टेफरोडोरनिस पॉडिकेरिनस*), क्रेस्टेड सर्प ईगल (*स्पिलोरनिस चैला*), भारतीय गोल्डन ओरिओल (*ओरिओलुस कुंडू*), ग्रेटर कौकल (*केंद्रोपुस सिनेंसिस*), ग्रेटर राक्रेट-टेल्ड ड्रोंगो (*डिकरूरुस पाराडिसेउस*), ग्रे फ्रेंकोलिन (*फरांकोलिनस पॉडिकेरिनस*), भारतीय कोयल (*कुकुलुस मिक्रोप्टेरुस*), भारतीय ग्रे हॉर्नबिल (*ओकयकेरोस विरोस्ट्रीस*), भारतीय रोबिन (*साक्सिकोलोआडिस फुलिकाटुस*), जंगल बाब्लेयर (*तुरडोआईडेस स्टिरिअटा*), लार्ज कोयल श्रीके (*कोराकिना जवेंसिस*), छोटा कोमॉरेंट (*मिक्रोकारबो निगेर*), लोटेन सनबर्ड (*किन्नयरिस लोटेनिउस*), ओरेंज-हेडेड थ्रस (*गेओकिचला किटरिना*), पेल-बिल्लड फ्लावर पेक्केर (*डिकाइउम एरीथोरिन्वोस*), ग्रेय फ्रॉटेड ग्रीन-कबूतर (*तरेरोन अप्फिनिस*), रेड-वेंटेड बुलबुल (*पायक्रोनोटस कफेर*), रेड-विस्कर्ड बुलबुल (*कनोटस जोकोसस*), रूफोउस ट्रीपाई (*डेंड्रोकिट्टा वागाबुंडा*), स्कालय-ब्रेस्ट मुनिया (*लॉंचुरा पुंकटुलाटा*), छोटा मिनिवेट (*पेरिकरोकोतुस किन्नामोमेउस*), स्पोट्टेड ओव्लेट (*अथेने ब्रामा*), वेरनाल हंगिंग तोता (*लोरिकुलुस वेरनालिस*), सफेद-ब्रोड फनटैल (*रहिपिदुरा औरैओला*), वाइट-रूमपेडमुनिया (*लॉंचुरा स्ट्रेटा*), येल्लो-बिल्लेड बब्लेयर (*तुरडोआईडेस अप्फिनिस*), आदि हैं;

और, चुलानूर मयूर अभयारण्य के महत्वपूर्ण स्तनधारियों में भारतीय पाम गिलहरी (*फुनाम्बुलुस पाल्मारूम*), रूफ रेट (*रट्टुस रट्टुस*), भारतीय क्रेस्टेड साही (*हिस्ट्रीक्स इंडिका*), भारतीय खरगोश (*लेपुस निगरीकोल्लिस*), बारे-बेल्लीड हेडगेहोग (*परैछिनुसुदिवेन्ट्रिस*), गोल्डन सियार (*कैनिस ऑरियस*), ग्रे नेवला (*हर्पस्टेसएडवर्डसी*), एशियन पाम सीवेट (*पेरोडोक्सोरुस हेर्माफ्रोडीतुस*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चाउस*), भारतीय साल (*मानिस क्रैसिकाउडाटा*), ग्रेटर

एशियाटिक येलो हाउस बेट (*स्कोटोफिलुस हैती*), भारतीय फ्लाइंग लोमडी (*पटेरोपुस गिगेंटस*), ग्रेटर शार्ट-नोज़ड फ्रूट बेट (*सिनोप्टेरस स्किंक्स*), एशियन कस्तूरी श्रेव (*सुनकस मुरीनस*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), आदि हैं;

और, चुलानूर मयूर अभयारण्य से उभयचरों और सरीसृपों में सामान्य ग्रीन वन छिपकली (*कलोटेस कलोटेस*, लिन्नाइउस, 1758), दक्षिण भारतीय रॉक अगामा (*पसाम्मोफिलुस डोरसालिस*, ग्रेय, 1831), कोस्टल डे गेक्को (*चेमास्पिस लिट्टोरालिस* जेरडोन, 1854), ब्रोकस हाउस गेक्को (*हेमिदाकटयलुस ब्रोकि*, ग्रेय, 1845), बार्क गेक्को (*हेमिडेक्टीलुसलेसचेनॉल्टी*, दुमेरिल और बिबरोन, 1836), कोल्लेगाल ग्राउंड गेक्को (*कयरटोडाकटयलुस कोल्लेगालेंसिस*, बेडुमे, 1870), सामान्य कैलेड स्किंक (*यूटरोपिस करिनाटा*, स्चनेडेर, 1801), स्पोट्टेड सुप्पले स्किंक (*लयगोसोमा पुनकटाटा*, गमेलिन, 1799), बंगाल मॉनिटर (*वारानुस बेंगालेंसिसिस*, दउदीन, 1802), ब्रह्मिनी वर्म स्लेक (*इंडोटयफलोप सबरामिनुस*, दउदीन, 1803), भारतीय राक पायथन (*पायथन मूलयरुस*, लिन्नाइउस, 1758), सामान्य ट्रिंकैट सांप (*कोइलोगनाथुस हेलेना*, दौदिन, 1803), रूसेल्ल कुकरी सांप (*ओलिगोदोन टैनिओलाटूस*, जेरडोन, 1853), सामान्य ब्रोन्जेबैक ट्री सांप (*डेंडरेलाफिस टरिस्टिस*, दौदिन, 1803), सामान्य विने सांप (*अहाइतुल्ला नसुटा*), स्ट्रिपेड कीलबैक (*अम्फिइसमा स्टोलातुम*, लिन्नाइउस, 1758), स्पेक्टैलेड कोबरा (*नाजा नाजा*, लिन्नाइउस, 1758), रूसेल वाइपर (*डाबोइया रूसेली*, शॉ एवं नोडुर, 1797), फेर्गुसन टोड (*दुत्तापहरयनुस स्केबर*), भारतीय पोंड मेंढक (*यूप्लाक्टिस हेक्साडेक्टाइलस*), भारतीय बुलफ्रॉग (*होप्लोबेट्राचुस टीगेरीनस*), निलफामाराई नेरो-मौउथेड मेंढक (*मिक्रोहयला निलफामारिइंसिस*), रेडिुश नैरो-मोथेड (*मिक्रोहीला रूब्रा*), वारीइगाटेड रामानेल्ला (*उपरोडोन वारिइगातुस*), अर्बन गोल्डन-बैक्केड मेंढक (*इंडोसयलविराना उरबिस*), चारपा ट्री मेंढक (*पाँलीपेडटीसोक्सिडेंटलिस*), मेनोन कैसिलियन (*उराइओटयफलुस मेनोनी*), आदि अभिलिखित किए गए हैं;

और, चुलानूर मयूर अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य के त्रिस्सूर और पालाक्कड जिले के चुलानूर मयूर अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर से 3.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**—(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार चुलानूर मयूर अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर से 3.0 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 8.86 वर्ग किलोमीटर है जिसके अंतर्गत वन क्षेत्र 6.58 वर्ग किलोमीटर और गैर-वन क्षेत्र 2.28 वर्ग किलोमीटर है। अभयारण्य का विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:—

दिशा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
उत्तर	100 मीटर
उत्तर-पूर्व	100 मीटर
पूर्व	1.4 किलोमीटर
दक्षिण-पूर्व	1.2 किलोमीटर

दक्षिण	700 मीटर
दक्षिण-पश्चिम	800 मीटर
पश्चिम	3.0 किलोमीटर
उत्तर-पश्चिम	2.250 किलोमीटर

- क. चुलानूर मयूर अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक -I** के रूप में संलग्न है।
- ख. सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए चुलानूर मयूर अभयारण्य के मानचित्र **अनुलग्नक -IIक**, **अनुलग्नक -IIख** और **अनुलग्नक -IIग** के रूप में संलग्न हैं।
- ग. चुलानूर मयूर अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक -III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।
- घ. मुख्य बिंदुओं पर भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **अनुलग्नक -IV** के रूप में संलग्न है।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-** (1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:—

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नदी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.—(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमति नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमति किया जाएगा जैसे:—

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

(2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमति नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**—सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.**—(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमति होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:—

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमति नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमति होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमति किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुमति नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबन्धी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सरण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमति किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमति किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के

सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.**- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.**- (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुमति नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.**- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:—

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है, सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:—

#### सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी



		संवेदी जोन में फरवरी, 2016, में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमति नहीं होगा।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
8.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमति नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योग जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं,

		सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सरण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सरण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य जलाए जाने की सुविधा की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
<b>ग.संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
31.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, नामतः:

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर, त्रिस्सूर और पालाक्कड	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	विधान सभा के सदस्य, तारूर, चेल्लकारा	सदस्य;
(iii)	जिला पंचायत अध्यक्ष, त्रिस्सूर पालाक्कड	सदस्य;
(iv)	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केरल राज्य बिजली बोर्ड या केरल जल प्राधिकरण या केरल राज्य सिंचाई विभाग या केरल राज्य पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	केरल सरकार द्वारा नामित प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य;

(vi)	केरल सरकार द्वारा नामित केरल राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	वन्यजीव वार्डन, पीची	सदस्य- सचिव

**6. विचारार्थ विषय.-** (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित और पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

**7. उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश.-** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधधीन होंगे।

**8. अतिरिक्त उपाय.-** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

[फा. सं. 25/103/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

**क. केरल राज्य में चुलान्नूर मयूर अभयारण्य की सीमा का विवरण**

पूर्वी भाग में म्यथीक्केमपारा और पश्चिमी भाग में थीनदानपारा में बहुत छोटे विस्तार को छोड़कर अभयारण्य क्षेत्र चुलान्नूर बीट 1 और मल्लेसामंगलम बीट 2 में निहित वनों से युक्त है और अभयारण्य निजी भूमियों से चारों ओर से घिरा हुआ है। जहां इसकी नेनेमारा और त्रिस्सूर संभागों के वेस्टीड वन बीटों के साथ सीमा है अभयारण्य की सीमाओं का विवरण नीचे दिया गया है—

**उत्तर: सर्वेक्षण संख्या में निजी भूमियां**

त्रिस्सूर जिला, के थालाप्लील्ली तालुक, के थीरूवीलवामाला ग्राम के 359/4पी,3पी,2पी,360/2पी,1819/पी, 376/3पी, 427/1पी, 1792/पी, 426/पी, 425/पी, 423/पी, 377/1पी, 2पी, 379/3पी, 8पी, 380/1पी, 2पी, 4पी, 381/2पी, 408/1पी, 409/1पी, 2पी, 422/पी, 1782/पी, 1780/पी, 1781/पी, 414/पी, 1778/3पी, 2पी, 1779/पी, 415/पी, 89/पी, 87/पी, 86/पी, 1814/पी, 83/पी, 1817/2पी, 72/पी, 74/पी, 75/पी, 77/पी, 1773/पी, 99/5पी, 4पी, 104/2पी, 1771/पी, 1761/पी, 104/1पी, 1768/पी, 164/1पी, 2पी, 166/1पी, 2पी, 165/2पी, 169/1पी, 2पी,3पी,70/पी, 54/2पी, 55/6पी, 7पी,4पी,9पी,45/पी, 56/2पी, 44/1पी, 5पी,7पी,58/1पी, 57/2पी, 44/3पी, 4पी, 43/10पी,2पी,59/4पी, 1पी, 3पी, 60/पी, 20/4पी,22/पी,61/पी,20/2पी,62/1पी,2पी और पालाक्कड़ जिला के, अलाथूर तालुक के, पेरींगोट्टूकुरीसी, चुलान्नूर और थोलान्नूर ग्राम के 247/के/4पी,2पी,247/जे/ 1पी,113/ 1पी,2पी, 114/ 1एपी, 1बीपी, 2पी, 247/11पी, 115/11पी,8सीपी, 223/7पी,2बीपी,4पी,6पी, 221/5सीपी, 247/ एच1पी।

**पूर्व: सर्वेक्षण संख्या में निजी भूमियां**

पालाक्कड़ जिला के, अलाथूर तालुक के, पेरींगोट्टूकुरीसी, चुलान्नूर और थोलान्नूर ग्राम के 178/2बी, 7एपी, 6पी, 179/15पी, 16, 20पी, 8पी, 23पी, 24पी, 14पी, 18पी, 22पी,181/1बीपी, 2सीपी, 5पी ।

**दक्षिण: सर्वेक्षण संख्या में निजी भूमियां**

पालाक्कड़ जिला के, अलाथूर तालुक के, पेरींगोट्टूकुरीसी, चुलान्नूर और थोलान्नूर ग्राम के 183/5बीपी, 4पी, 3पी, 2पी, 1एपी, 184/बी/1पी, 5पी, 184/ए/2पी, 127एम, 127एन और त्रिस्सूर जिला के, थालाप्लील्ली तालुक के, थीरूवीलवामाला ग्राम और पालाक्कड़ जिला के पल्लीपाराम्बा ग्राम के 1168/पी,1180/4पी/5पी, 2पी,1181/2पी, 1182/पी,1166/पी, 1185/3पी,1165/पी, 1164/2पी, 1पी, 1155/पी, 1153/पी, 1151/पी, 1150/पी ।

**पश्चिम: सर्वेक्षण संख्या में निजी भूमियां**


त्रिस्सूर जिला के, थालाप्लील्ली तालुक के, थीरूवीलवामाला ग्राम के त्रिस्सूर जिला, थालाप्लीली तालुक, थीरूवीलवामाला ग्राम के 1503/1पी, 1507/1पी,1508/1पी, 2पी,1557/4पी, 1509/1पी, 1540, 1149/पी, 1148/पी, 1147/पी, 1156/पी, 1157/पी, 1144/2पी, 435/3पी, 2पी, 434/3पी, 1159/3पी, 1160/पी, 420/2पी, 3पी, 1832/पी, 430/पी, 429/पी, 428/पी, 443/2पी, 442/पी, 441/पी, 1795/पी, 1794/पी, 445/2पी, 444/पी।

**ख. केरल राज्य में चुलान्नूर मयूर अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण**

<b>उत्तर:-</b>	पल्लीपाराम्बू अलीनचुवदू सड़क के निकट जी.पी.एस बिंदु सं.7 (उ 10° 43' 50.122" और पू 076° 27' 57.102") से आरंभ होकर और नदूवथूप्पारा केंद्र से होते हुए संरक्षित क्षेत्र सीमा से 100 मीटर की दूरी में जाती है, इसके बाद अयाकुरस्सीहेरे में भू-निर्देशांक बिंदु सं.9 (उ 10° 43' 41.088" और पू 076° 29' 57.990") के मालापुझा कैनल पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिकतम चौड़ाई 100 मीटर है; 4.5 किलोमीटर लंबाई विस्तृत है।
<b>उत्तर-पूर्व:-</b>	वहां से कोट्टाट्टूकलम में भू-निर्देशांक बिंदु सं 10 (उ 10° 43' 23.819" और पू 076° 30' 16.904") के मालापुझा कैनल की सीमा के साथ जाती है।
<b>पूर्व :-</b>	इसके बाद उ10° 42' 44.347" और पू 076° 30' 14.231", के मालापुझा कैनल के साथ, भू-निर्देशांक बिंदु सं.12 (उ 10° 42' 4.463" और पू 076° 30' 16.082"), थेक्कथ कझायी सड़क जंक्शन, पेझुम्कोदे से होते हुए वेस्टीड वन सीमा के साथ, मुंदीया-थाराकदु नेचुर, जी.पी.एस बिंदु सं. 14 (उ 10° 42' 47.019" और पू 076° 29' 50.178"), के पेझुम्कोदे पदीनजारे कुलाम्बु में जाती है।
<b>दक्षिण-पूर्व:-</b>	वहां से पुलीमाडा भू-निर्देशांक बिंदु सं. 15 (उ 10° 41' 56.445" और पू 076° 29' 27.769") के वेस्टीड वन सीमा के साथ जाती है।
<b>दक्षिण:-</b>	वहां से नेचूर मल्लाम्कुन्नू, मुट्टीक्कदु थूप्पालीकुन्नू जीपीएस बिंदु सं.17 (उ 10° 42' 33.039" और पू 076° 28' 47.680") से होते हुए वेस्टीड वन सीमा के साथ जाती है, शाराथकुलम्बू के वेस्टीड वन सीमा के साथ जाती है, इसके बाद चीराकुम्बू, अलीनचुवदु से होते हुए संरक्षित सीमा से 100 मीटर की दूरी में जाती है, इसके बाद वेस्टीड वन सीमा के साथ, इरूवीलामक्कड, चुलान्नूर भू-निर्देशांक बिंदु सं 19 (उ 10° 42' 43.319" और पू 076° 28' 33.906") के चादाचीकुन्नू, चीलाम्बूथोडी के आबाद क्षेत्र में जाती है जहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन की औसत चौड़ाई 2 किलोमीटर है।
<b>दक्षिण-पश्चिम:-</b>	वहां से मीनीक्कोद में भू-निर्देशांक बिंदु सं. 20 (उ 10° 42' 26.461" और पू 076° 28' 20.954") कुलाथूर की धान कृषि भूमि, भू-निर्देशांक बिंदु सं. 21 (उ 10° 42' 45.169" और पू 076° 27' 49.088") के साथ जाती है, जहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई 200 मीटर है।
<b>पश्चिम:-</b>	वहां से काक्कास्सेरीपदम जी.पी.एस बिंदु सं 22 (उ 10° 42' 56.682" और पू 076° 27' 8.176"), कुरुमानकट्टु कट्टाकलम, थीनदाप्पारा भू-निर्देशांक बिंदु सं.3 (उ 10° 43' 28.575" और पू 076° 27' 18.390") के धान कृषि भूमि के साथ जाती है।
<b>उत्तर-पश्चिम:-</b>	इसके बाद भू-निर्देशांक बिंदु सं.4 (उ 10° 43' 40.857" और पू 076° 27' 28.517"), पुथानगरी, चोझीयानकोदुपदम उत्तर, अलीनचुवदु पट्टीपाराम्बू सड़क के भू-निर्देशांक बिंदु सं. 7 (उ 10° 43' 50.122" और पू 076° 27' 57.102") के साथ जाती है और यहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन की औसत चौड़ाई 700 मीटर है।


अनुलग्नक- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ चुलान्नूर मयूर अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र



अनुलग्नक - IIख


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ चुलान्नूर मयूर अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र





## अनुलग्नक - IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट में मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ चुलाचूर मयूर अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



## अनुलग्नक - III

सारणी क: चुलाचूर मयूर अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	उ10° 43' 49.2"	पू 76° 27' 49.8"
2	उ10° 43' 41.5"	पू 76° 29' 55.4"
3	उ10° 43' 30.2"	पू 76° 29' 54.6"
4	उ10° 43' 33.9"	पू 76° 29' 2.5"
5	उ10° 43' 19.9"	पू 76° 28' 37.7"
6	उ10° 42' 51.2"	पू 76° 27' 28.5"
7	उ10° 43' 19.6"	पू 76° 27' 29.6"
8	उ10° 43' 31.5"	पू 76° 27' 37.2"

## सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदुओं की दिशा	अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप	देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप
1	कुरुमंगडकुलम	पश्चिम	उ10° 43' 10.250"	पू 76° 26' 54.150"
2	थीनदांपपारा उत्तर क्षेत्र	पश्चिम	उ10° 43' 20.740"	पू 76° 27' 6.750"
3	थीनदांपपारा	पश्चिम	उ10° 43' 28.680"	पू 76° 27' 17.270"
4	पुथानमरी	उत्तर-पश्चिम	उ10° 43' 43.250"	पू 76° 27' 25.390"
5	चोझीयाक्कोद	उत्तर-पश्चिम	उ10° 43' 39.350"	पू 76° 27' 21.490"
6	चादीयार	उत्तर-पश्चिम	उ10° 43' 46.770"	पू 76° 27' 39.780"
7	थेनुरप्पाडी	उत्तर-पश्चिम	उ10° 43' 39.690"	पू 76° 27' 48.910"
8	नादुवाथुप्पारा	उत्तर-पश्चिम	उ10° 43' 54.110"	पू 76° 27' 49.540"
9	अयाकुरस्सी	उत्तर-पूर्व	उ10° 43' 41.430"	पू 76° 29' 59.160"
10	कोट्टाट्टुकुलम	उत्तर-पूर्व	उ10° 43' 32.410"	पू 76° 30' 16.830"
11	मरूथाम्कोदु	पूर्व	उ10° 42' 55.030"	पू 76° 30' 17.330"
12	पेदुकोदु	दक्षिण-पूर्व	उ10° 42' 4.460"	पू 76° 30' 11.850"
13	पदीनजारेकुलाम्बु	दक्षिण-पूर्व	उ10° 41' 59.550"	पू 76° 29' 55.610"
14	नेल्लोर	दक्षिण	उ10° 42' 46.450"	पू 76° 29' 50.010"
15	रबड प्लान्टेशन	दक्षिण	उ10° 41' 54.530"	पू 76° 29' 33.540"
16	मायांकुनु	दक्षिण	उ10° 42' 22.640"	पू 76° 29' 8.950"
17	मुट्टीक्काड	दक्षिण	उ10° 42' 27.230"	पू 76° 28' 52.080"
18	अलील्लुवाद	दक्षिण	उ10° 43' 16.240"	पू 76° 29' 2.470"
19	इरूवीलाम्कादु	दक्षिण	उ10° 42' 24.140"	पू 76° 28' 10.610"
20	कुलाथोर	दक्षिण-पश्चिम	उ10° 42' 45.820"	पू 76° 27' 47.760"
21	काक्कास्सेरी	दक्षिण-पश्चिम	उ 76° 27' 24.590"	पू 10° 42' 56.660"

## अनुलग्नक -IV

## भू-निर्देशांको के साथ चुलानूर मयूर अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार	तालुका	जिला	जी.पी.एस. निर्देशांक	
					अक्षांश	देशांतर
1	पेरीगोट्टुकरीस्सी II	राजस्व	अलाथूर	पालाक्कड	उ10° 43' 41.088"	पू 076° 29' 57.990"
2	कुथानूर II	राजस्व	अलाथूर	पालाक्कड	उ 10° 42' 4.463"	पू 076° 30' 16.082"
3	तरूर I	राजस्व	अलाथूर	पालाक्कड	उ 10° 42' 22.640"	पू 76° 29' 8.950"
4	थिरुविलवामाला	राजस्व	थलापल्ली	त्रिस्सूर	उ 10° 43' 10.250"	पू 76° 26' 54.150"

## अनुलग्नक -V

## की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, 25th November, 2020

**S.O. 4270(E).**—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 3327 (E), dated 7<sup>th</sup> December, 2015, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in)

## Draft Notification

**WHEREAS**, Chulannur Peafowl Sanctuary is spread over an area of 3.42 square kilometers and situated in Thalappilly and Alathur Taluks of Thrissur and Palakkad districts in the state of Kerala. Chulannur Peafowl Sanctuary was formed by carving out areas from the Nenmara and Thrissur territorial divisions which was an erstwhile private forest, subsequently taken over by State Government as per the Kerala Private Forests (Vesting and Assignment) Act, 1971;

**AND WHEREAS**, the forests of the Chulannur Peafowl Sanctuary provide considerable tree cover which ameliorates microclimate of the area and it will also favorably influence the hydrology of the surrounding area in the long term. About 337 species of plant were recorded from the Sanctuary area. The natural deciduous forests within the sanctuary are a representation of the natural forest vegetation of the area now evolving through secondary successional stages with associated biodiversity. This native flora, fauna associated soil and microbial elements have a very high biodiversity value. The major flora of the Sanctuary are coconut (*Cocos nucifera*), areca nut (*Areca catechu*), teak

(*Tectona grandis*), jackfruit (*Artocarpusheterophyllus*), mango tree (*Mangifera indica*), pepper (*Piper nigrum*), banana (*Musa paradisiaca*), kanikkonna (*Cassia fistula*), sathavari (*Asparagus racemosus*), dhanthappala (*Wrightiatinctoria*), maramanjil (*Cosciniumfenestratum*), orila (*Desmodiumgangeticum*), palakapayyani (*Oroxylumindicum*), thippali (*Piper longum*), moovila (*Pseudarthriaviscida*), etc;

**AND WHEREAS**, the Chulannur Peafowl Sanctuary has good potential for ecotourism without harming the ecological integrity of the area. The Sanctuary is the only representation of a protected area for peafowl in the state of Kerala which has viable of Peafowl population. The other avifauna of the Sanctuary are ashy drongo (*Dicrurus leucophaeus*), Indian koel (*Eudynamys scolopaceus*), baya weaver (*Ploceus philippinus*), black-headed cuckooshrike (*Lalage melanoptera*), lesser golden-backed woodpecker (*Dinopium benghalense*), brahminy kite (*Haliastur Indus*), bronzed drongo (*Dicrurus aeneus*), cattle egret (*Bubulcus ibis*), chestnut-tailed starling (*Sturnia malabarica*), black-hooded oriole (*Oriolus xanthornus*), common kingfisher (*Alcedo atthis*), common peafowl (*Pavo cristatus*), common woodshrike (*Tephrodornis pondicerianus*), crested serpent eagle (*Spilornis cheela*), Indian golden oriole (*Oriolus kundoo*), greater coucal (*Centropus sinensis*), greater racket-tailed drongo (*Dicrurus paradiseus*), grey francolin (*Francolinus pondicerianus*), Indian cuckoo (*Cuculus micropterus*), Indian grey hornbill (*Ocyrceros birostris*), Indian robin (*Saxicoloides fulicatus*), jungle babbler (*Turdoides striata*), large cuckooshrike (*Coracina javensis*), little cormorant (*Microcarbo niger*), Loten's sunbird (*Cinnyris lotenius*), orange-headed thrush (*Geokichla citrina*), pale-billed flowerpecker (*Dicaeum erythrorhynchos*), grey fronted green-pigeon (*Treron affinis*), red-vented bulbul (*Pycnonotus cafer*), red-whiskered bulbul (*Pycnonotus jocosus*), rufous treepie (*Dendrocitta vagabunda*), scaly-breasted munia (*Lonchura punctulata*), small minivet (*Pericrocotus cinnamomeus*), spotted owlet (*Athene brama*), vernal hanging parrot (*Loriculus vernalis*), white-browed fantail (*Rhipidura aureola*), white-rumpedmunia (*Lonchura striata*), yellow-billed babbler (*Turdoides affinis*), etc;

**AND WHEREAS**, important mammals of the Chulannur Peafowl Sanctuary are Indian palm squirrel (*Funambulus palmarum*), roof rat (*Rattus rattus*), Indian crested porcupine (*Hystrix indica*), Indian hare (*Lepus nigricollis*), bare-bellied hedgehog (*Paraechinusnudentris*), golden jackal (*Canis aureus*), grey mongoose (*Herpestesedwardsi*), Asian palm civet (*Paradoxurus hermaphroditus*), jungle cat (*Felis chaus*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*), greater Asiatic yellow house bat (*Scotophilus heathii*), Indian flying fox (*Pteropus giganteus*), greater short-nosed fruit bat (*Cynopterus sphinx*), Asian musk shrew (*Suncus murinus*), wild boar (*Sus scrofa*), etc;

**AND WHEREAS**, amphibian and reptiles recorded from the Chulannur Peafowl Sanctuary are common green forest lizard (*Calotes calotes*, Linnaeus, 1758), south Indian rock agama (*Psammophilus dorsalis*, Gray, 1831), coastal day gecko (*Cnemaspis littoralis*, Jerdon, 1854), brook's house gecko (*Hemidactylus brookii*, Gray, 1845), bark gecko (*Hemidactylusleschenaultii*, Duméril and Bibron, 1836), kollegal ground gecko (*Cyrtodactylus collegalensis*, Beddome, 1870), common keeled skink (*Eutropis carinata*, Schneider, 1801), spotted supple skink (*Lygosoma punctata*, Gmelin, 1799), Bengal monitor (*Varanus bengalensis*, Daudin, 1802), brahminy worm snake (*Indotyphlop sbraminus*, Daudin, 1803), Indian rock python (*Python molurus*, Linnaeus, 1758), common trinket snake (*Coelognathus helena*, Daudin, 1803), Russell's kukri snake (*Oligodon taeniolatus*, Jerdon, 1853), common bronzeback tree snake (*Dendrelaphis tristis*, Daudin, 1803), common vine snake (*Ahaetulla nasuta*), striped keelback (*Amphiesma stolatum*, Linnaeus, 1758), spectacled cobra (*Naja naja*, Linnaeus, 1758), Russel's viper (*Daboia russelii*, Shaw & Nodder, 1797), ferguson's toad (*Duttaphrynus scaber*), Indian pond frog (*Euphlyctis hexadactylus*), indian bullfrog (*Hoplobatrachus tigerinus*), nilphamarai narrow-mouthed frog (*Microhyla nilphamariensis*), reddish narrow-mouthed frog (*Microhyla rubra*), variegated ramanella (*Uperodon variegatus*), urban golden-backed frog (*Indosylvirana urbis*), charpa tree frog (*Polypedatesoccidentalis*), Menon's caecilian (*Uraeotyphlus menoni*), etc;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Chulannur Peafowl Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 100 meters to 3.0 kilometres around the boundary of Chulannur Peafowl Sanctuary, in Thrissur and Palakkad districts in the State of Kerala as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

**Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** - (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 100 meters to 3.0 kilometres around the boundary of Chulannur Peafowl Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 8.86 square kilometres comprising of 6.58 square kilometres of forest area and 2.28 square kilometres of non-forest area. The extents of Eco-sensitive Zone at various directions of the Sanctuary are given as:

Direction	Extents of Eco-sensitive Zone
North	100 meters
North- East	100 meters

East	1.4 kilometres
South- East	1.2 kilometres
South	700 meters
South- West	800 meters
West	3.0 kilometres
North -West	2.250 kilometres

- A. The boundary description of Chulannur Peafowl Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
- B. The maps of the Chulannur Peafowl Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, **Annexure-IIB** and **Annexure-IIC**.
- C. Lists of geo-coordinates of the boundary of Chulannur Peafowl Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III**.
- D. The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
- (i) Environment;
  - (ii) Forest and Wildlife;
  - (iii) Agriculture;
  - (iv) Revenue;
  - (v) Urban Development;
  - (vi) Tourism;
  - (vii) Rural Development;
  - (viii) Irrigation and Flood Control;
  - (ix) Municipal;
  - (x) Panchayati Raj;
  - (xi) Kerala State Pollution Control Board; and
  - (xii) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by the State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as.-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism or Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

- (13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone;
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:  Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.



S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
<b>B. Regulated Activities</b>		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
10.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
13.	Collection of Forest produce or Non-	Regulated as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	Timber Forest produce.	
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Thrissur and Palakkad	Chairman, ex officio;
(ii)	Member of Legislative Assembly, Tarur, Chelakkara	Member;
(iii)	District Panchayat President, Thrissur, Palakkad	Member;
(iv)	Representatives of Kerala State Pollution Control Board or Kerala State Electricity Board or Kerala Water Authority or Kerala State Irrigation Department or Kerala State Environment Department	Member;
(v)	Representative of Non-Governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vi)	One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Kerala to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vii)	Wildlife Warden, Peechi	Member-Secretary.

**6. Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

**7. Orders of Supreme Court, etc.-** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

**8. Additional measures.-** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/103/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

## ANNEXURE- I

### A. BOUNDARY DESCRIPTION OF CHULANNUR PEAFOWL SANCTUARY IN THE STATE

#### KERALA

The Sanctuary area comprises of vested forests in Chulannur Bit 1 and Mallesamangalam Bit 2 and the Sanctuary is surrounded on all sides by private lands except a very small extent at Mythiakkempara at eastern side and Theendanpara at western side where it is having boundary with vested forest bits of Nenmara and Thrissur Divisions. The boundaries of the Sanctuary are detailed below.

**North: Private lands in Survey Number**

359/4P,3P,2P,360/2P,1819/P, 376/3P, 427/1P, 1792/P, 426/P, 425/P, 423/P, 377/1P, 2P, 379/3P, 8P, 380/1P, 2P, 4P, 381/2P, 408/1P, 409/1P, 2P, 422/P, 1782/P, 1780/P, 1781/P, 414/P, 1778/3P, 2P, 1779/P, 415/P, 89/P, 87/P, 86/P, 1814/P, 83/P, 1817/2P, 72/P, 74/P, 75/P, 77/P, 1773/P, 99/5P, 4P, 104/2P, 1771/P, 1761/P, 104/1P, 1768/P, 164/1P, 2P, 166/1P, 2P, 165/2P, 169/1P, 2P,3P,70/P, 54/2P, 55/6P, 7P,4P,9P,45/P, 56/2P, 44/1P, 5P,7P,58/1P, 57/2P, 44/3P, 4P, 43/10P,2P,59/4P, 1P, 3P, 60/P, 20/4P,22/P,61/P,20/2P,62/1P,2P of Thiruvilwamala Village, Thalappilly Taluk, Thrissur District and 247/K/4P,2P,247/J/ 1P,113/ 1P,2P, 114/ 1AP, 1BP, 2P, 247/I/1P, 115/11P,8CP, 223/7P,2BP,4P,6P, 221/5CP, 247/ H1P of Peringottukurisi, Chulannur and Tholannur Village, Alathur Taluk, Palakkad District.

**East: Private lands in survey Number**

178/2B, 7AP, 6P, 179/15P, 16, 20P, 8P, 23P, 24P, 14P, 18P, 22P,181/1BP, 2CP, 5P of Peringottukurisi, Chulannur and Tholanoor Village, Alathur Taluk, Palakkad District.

**South: - Private lands in survey Number**

183/5BP, 4P, 3P, 2P, 1AP, 184/B/1P, 5P, 184/A/2P, 127M, 127N of Peringottukurisi, Chulannur and Tholanoor Village, Alathur Taluk, Palakkad District and 1168/P,1180/4P/5P, 2P,1181/2P, 1182/P,1166/P, 1185/3P,1165/P, 1164/2P, 1P, 1155/P, 1153/P, 1151/P, 1150/P of Thiruvilwamala village, Thalappilly Taluk, Thrissur District and Palliparamba Village of Palakkad District.

**West: - Private lands in survey Number**


1503/1P, 1507/1P,1508/1P, 2P,1557/4P, 1509/1P, 1540, 1149/P, 1148/P, 1147/P, 1156/P, 1157/P, 1144/2P, 435/3P, 2P, 434/3P, 1159/3P, 1160/P, 420/2P, 3P, 1832/P, 430/P, 429/P, 428/P, 443/2P, 442/P, 441/P, 1795/P, 1794/P, 445/2P, 444/P of Thiruvilwamala village, Thalappilly Taluk, Thrissur District.

**B. BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND CHULANNUR  
PEAFOWL SANCTUARY IN THE STATE KERALA**

<b>North:-</b>	Starting from GPS point No. 7 (N 10° 43' 50.122" and E 076° 27' 57.102") near Palliparambu – Alinchuvadu road and running at distance of 100mtr from Protected Area boundary through Naduvathupparacentre, then Malampuzha canal upto Geo-coordinate point No. 9 (N 10° 43' 41.088" and E 076° 29' 57.990") at Ayakurssihere the maximum width of the Eco-sensitive zone is 100 mtr; extends to a length of 4.5 km
<b>North - East:-</b>	Thence running along boundary of Malampuzha canal upto Geo-coordinate point No. 10 (N 10° 43' 23.819" and E 076° 30' 16.904") at Kottattu Kalam
<b>East :-</b>	Then running further along the Malampuzha canal upto N 10° 42' 44.347" and E 076° 30' 14.231", then along the vested Forest boundary through Pezhumkode, Thekkath – Kazhayi road junction Geo-coordinate point No. 12 (N 10° 42' 4.463" and E 076° 30' 16.082"), then Pezhumkodu Padinjare Kulambu upto GPS point No.14 (N 10° 42' 47.019" and E 076° 29' 50.178"), Mundiatharakadu Nechur
<b>South - East:-</b>	Thence proceed along vested forest boundary upto Geo-coordinate point No. 15 (N 10° 41' 56.445" and E 076° 29' 27.769") Pulimada
<b>South:-</b>	Thence proceed along vested forest boundary through Nechur – Mallamkunnu, MuttikkaduThuppalikunnu GPS point No. 17 (N 10° 42' 33.039" and E 076° 28' 47.680") running along vested forest boundary upto Sharathkulambu, then running at a distance of 100 mtr from Protected Area boundary through Cheerakulambu, Alinchuvadu, then along vested forest boundary, inhabited area of Chadachikunnu, Chilambuthodi, upto Geo-coordinate point No. 19 (N 10° 42' 43.319" and E 076° 28' 33.906") Iruvilamkkad, Chulannur; here the average width of Eco-sensitive zone is 2 Km.
<b>South -West:-</b>	Thence running along paddy field to Geo-coordinate point 20 (N 10° 42' 26.461" and E 076° 28' 20.954") Kulathur, upto Geo-coordinate point No. 21 (N 10° 42' 45.169" and E 076° 27' 49.088") at Minikkod, here width of Eco-sensitive zone is up to 200 Mtr
<b>West:-</b>	Thence running along paddy fields Kakkasseripadam GPS point No. 22 (N 10° 42' 56.682" and E 076° 27' 8.176"), Kurumankattu Kattakalam, Theendappara upto Geo-coordinate point No. 3 (N 10° 43' 28.575" and E 076° 27' 18.390")
<b>North -West:-</b>	Then running along Geo-coordinate point No. 4 (N 10° 43' 40.857" and E 076° 27' 28.517"), Puthanmari, Chozhiyankodupadam north, Alinchuvadu – Pattiparambu road upto Geo-coordinate point No. 7 (N 10° 43' 50.122" and E 076° 27' 57.102") and here average width of Eco-sensitive zone is 700 meters.


ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHULANNUR PEAFOWL SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHULANNUR PEAFOWL SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHULANNUR PEAFOWL SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS IN SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF CHULANNUR PEAFOWL SANCTUARY

Point ID	Latitude	Longitude
1	N 10° 43' 49.2"	E 76° 27' 49.8"
2	N 10° 43' 41.5"	E 76° 29' 55.4"
3	N 10° 43' 30.2"	E 76° 29' 54.6"
4	N 10° 43' 33.9"	E 76° 29' 2.5"
5	N 10° 43' 19.9"	E 76° 28' 37.7"
6	N 10° 42' 51.2"	E 76° 27' 28.5"
7	N 10° 43' 19.6"	E 76° 27' 29.6"
8	N 10° 43' 31.5"	E 76° 27' 37.2"



**TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE**

Sl. No.	Identification of prominent points	Direction of prominent points	Latitude (N) DMS Format	Longitude (E) DMS Format
1	Kurumangadkulam	West	N 10° 43' 10.250"	E 76° 26' 54.150"
2	Theendanppara North area	West	N 10° 43' 20.740"	E 76° 27' 6.750"
3	Theendanppara	West	N 10° 43' 28.680"	E 76° 27' 17.270"
4	Puthanmari	North-West	N 10° 43' 43.250"	E 76° 27' 25.390"
5	Chozhiyakkod	North-West	N 10° 43' 39.350"	E 76° 27' 21.490"
6	Chadiyar	North-West	N 10° 43' 46.770"	E 76° 27' 39.780"
7	Thenurppadi	North-West	N 10° 43' 39.690"	E 76° 27' 48.910"
8	Naduvathuppara	North-West	N 10° 43' 54.110"	E 76° 27' 49.540"
9	Ayakurssi	North - East	N 10° 43' 41.430"	E 76° 29' 59.160"
10	Kottattukulam	North - East	N 10° 43' 32.410"	E 76° 30' 16.830"
11	Maruthamkodu	East	N 10° 42' 55.030"	E 76° 30' 17.330"
12	Pedukodu	South - East	N 10° 42' 4.460"	E 76° 30' 11.850"
13	Padinjarekulambu	South - East	N 10° 41' 59.550"	E 76° 29' 55.610"
14	Nelloor	South	N 10° 42' 46.450"	E 76° 29' 50.010"
15	Rubber Plantation	South	N 10° 41' 54.530"	E 76° 29' 33.540"
16	Mayankunnu	South	N 10° 42' 22.640"	E 76° 29' 8.950"
17	Muttikkad	South	N 10° 42' 27.230"	E 76° 28' 52.080"
18	Alilchuvad	South	N 10° 43' 16.240"	E 76° 29' 2.470"
19	Iruvilamkadu	South	N 10° 42' 24.140"	E 76° 28' 10.610"
20	Kulathoor	South - West	N 10° 42' 45.820"	E 76° 27' 47.760"
21	Kakkasseri	South - West	E 76° 27' 24.590"	N 10° 42' 56.660"

**ANNEXURE-IV****LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF CHULANNUR PEAFOWL SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sl. No.	Village Name	Type of Village	Taluka	District	GPS Co-ordinates	
					Latitude	Longitude
1	Peringottukurissy II	Revenue	Alathur	Palakkad	N 10° 43' 41.088"	E 76° 29' 57.990"
2	Kuthannur II	Revenue	Alathur	Palakkad	N 10° 42' 4.463"	E 76° 30' 16.082"
3	Tarur I	Revenue	Alathur	Palakkad	N 10° 42' 22.640"	E 76° 29' 8.950"
4	Thiruvilwamala	Revenue	Thalapilly	Thrissur	N 10° 43' 10.250"	E 76° 26' 54.150"

**ANNEXURE -V****Performa of Action Taken Report:-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.